


माननीय राज्य मण्डल म० प्र० ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा मध्य प्रदेश



विष्णुदास साहू पिता जम्मू लाल साहू उम्र 56 वर्ष पेशा नौकरी निवासी
ग्राम जेतपुर तहसील बरौली जिला सिरोली म०प्र० ===== निगरानीकर्ता
बनाम

- 1- प्रवीण कुमार पिता भवानदास शाह
- 2- रत्नराज शाह पिता भवानदास शाह
- 3- रमेश कुमार शाह पिता भवानदास शाह
- 4- नन्दकिशोर पिता भवानदास शाह
- 5- सुदीप कुमार पिता भवानदास शाह
- 6- दलू प्रताप पिता शि वलाल शाह
- 7- गोपालदास पिता शिवलाल शाह सभी निवासी ग्राम चौरा
- 8- किण्णु कुमार पिता देवशरन शाह सा० रैला
- 9- नारायणदास पिता देवशरन शाह सा० चौरा
- 10- शिवनाथ शाह पिता सरजू शाह
- 11- बाल्मीक शाह पिता कुन्जलाल शाह दोनो नि० ग्राम रैला
- 12- अशोक कुमार शाह पिता कुन्जलाल शाह
- 13- रमाकान्त शाह पिता जीतलाल शाह दोनो निवासी ग्राम चौरा
तह० माडा जिला सिरोली म०प्र० ===== गैरनिगरानीकर्ता गण

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
तह० माडा जिला सिरोली म०प्र० के प्रकरण क्रमांक
03/अवशतीरमएस/अमील/15-16 आदेश दिनांक
30-10-2017.

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० भू रत० तह०

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

जिला-सिंगरौली

प्रकरण क्रमांक II/निग0/2017/4767

शिवप्रसाद साहू/ प्रवीण कुमार शाह

(1)	(2)	(3)
S-8-19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल सिंह उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील माड़ा के प्रकरण क्रमांक 03/आरसीएमएस/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 30.10.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला सिंगरौली के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: center;">ms</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	